UPSI180000022008

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद-सीतापुर।

फौजदारी वाद संख्या-362/ 2008

सरकार बनाम जगदीश आदि।

अपराध संख्या-06/ 2008
धारा-323,324,504 भा०दं०सं०
थाना-सदरपुर, जिला-सीतापुर।

आरोप

मैं, रोहित पुरी, सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद-सीतापुर आप अभियुक्तगण **जगदीश शुक्ला एवं श्रीमती गुड्डी देवी** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ-

1. यह कि दिनांक-05.01.2008 को समय 16.30 बजे, स्थान बहद ग्राम बेढौरा, थाना-सदरपुर, जिला-सीतापुर के सीमान्तर्गत आप अभियुक्तगण ने वादिनी मुकदमा श्रीमती मनोज कुमार वर्मा व उसकी लड़की को ईंट-पत्थर व लाठी-डंडों से मार-पीटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो **धारा-323 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने उपर्युक्त वादिनी मुकदमा व अन्य को किसी कठोर कुन्दालय से मार पीटकर उपहित कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो **धारा-324 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने उपर्युक्त वादी मुकदमा व अन्य को गंदी-गंदी गालियाँ देकर साशय अपमानित किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो **धारा-504 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोप के सम्बन्ध में आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाय।

दिनांकः-24.09.2025

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप को अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांकः-24.09.2025

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।

विजय मौर्य
(स्टेनो)

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2025.09.24 17:52:29 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M.
Mahmudabad, Sitapur.